

खाता खोलने के लिए वैध केवाईसी दस्तावेजों की सूची: -	
<p>भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन)/फॉर्म 60 प्राप्त किया जाना अनिवार्य है.</p>	
<p>वैयक्तिक खातों के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट ➤ फोटो के साथ ड्राइविंग लाइसेंस ➤ आधार संख्या के होने का साक्ष्य ➤ भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ➤ नरेगा द्वारा जारी जॉबकार्ड जिस पर राज्य सरकार के अधिकारी विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों ➤ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का उल्लेख हो
<p>यदि ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता नहीं है तो मान्य आधिकारिक वैध दस्तावेज (सूची में से कम से कम एक दस्तावेज आवश्यक है.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात् बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, गैस पाइपलाइन, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना न हो) ➤ संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद; ➤ सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उसमें पते का उल्लेख हो; ➤ राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों के नियोक्ता द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र और आधिकारिक आवास प्रदान करने के लिए ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव एवं लाइसेंस करार;
<p>विदेशी छात्रों के मामले में</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट और वीजा की प्रति ➤ कॉलेज/संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र ➤ पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पत्र जिसमें पाठ्यक्रम की उस अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है. ➤ छात्रावास आवासीय व्यवस्था के लिए संस्थान/कॉलेज के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जारी आवंटन पत्र जिसमें, छात्रावास के विस्तृत पते और स्थान, रूम नं और छात्रावास आवासीय व्यवस्था के आवंटन की तारीख आदि का उल्लेख हो या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर किराया करार के रूप में स्थानीय पते के उल्लेख वाला वैध पता साक्ष्य
<p>अनिवासी</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट <p>वर्तमान विदेशी पते (नीचे में से किसी एक) का</p>

<p>भारतीय/ विदेशी पर्यटक हेतु</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वैध वीजा ➤ पैन/फॉर्म 60 	<p>उल्लेख करते हुए पते का साक्ष्य</p>
<p>पीआईओ / ओसीआई हेतु</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट ➤ पीआईओ कार्ड/ओसीआई कार्ड ➤ पैन/फॉर्म 60 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विदेशी न्यायाधिकरण के सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ यथा ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय पहचान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, कर्मचारी कार्ड और श्रम कार्ड, कर निवासिता प्रमाणपत्र आदि जिसमें आवेदक का नाम और पता हो ➤ भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो. ➤ किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात् बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, गैस पाइपलाइन, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं) ➤ संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद ➤ राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों के नियोक्ता द्वारा आधिकारिक आवास के आवंटन के लिए जारी आवास आवंटन पत्र/लीव एवं लाइसेंस करार;
<p>विदेशी नागरिकों के लिए</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पैन/फॉर्म 60 ➤ वैध विदेशी पासपोर्ट ➤ वैध भारतीय वीजा 	<p>वर्तमान विदेशी पते (कोई भी) का उल्लेख करने वाले पते का साक्ष्य</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस ➤ विदेशी न्यायाधिकरण के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज़ यथा राष्ट्रीय पहचान कार्ड, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें विदेशी नागरिक के नाम और पते का उल्लेख हो. ➤ भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो.
<p>(भारतीय पते के साक्ष्य के लिए एफआरआरओ / एफआरओ प्रमाण पत्र / परमिट / भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस / ओवीडी / ऊपर उल्लिखित कोई भी मान्य ओवीडी प्रदान किया जाना आवश्यक है।)</p>		
<p>कंपनियों के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निगमन प्रमाणपत्र ➤ संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम ➤ कंपनी का पैन नंबर ➤ निदेशक मंडल का संकल्प और अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को दी गई पावर ऑफ अटर्नी; तथा ➤ उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए अटर्नी धारक प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, के फोटोग्राफ के साथ कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 	
<p>एकल स्वामित्व वाली फर्म का खाता</p>	<p><u>(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस, ➤ बिक्री और आयकर रिटर्न, ➤ सीएसटी / वैट / जीएसटी प्रमाणपत्र (प्रावधानिक/अंतिम), ➤ बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / पंजीकरण दस्तावेज़ ➤ डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान को जारी 	

	<p>आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) या सांविधिक पेशेवर निकाय कॉर्पोरेट द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जारी प्रेक्टिस लाइसेंस/प्रमाणपत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ एकल स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय परिलक्षित हो रही हो और वह आयकर प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत/ स्वीकृत हो. ➤ स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर उपयोगिता बिल यथा बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल <p>ऐसे मामलो में जहां शाखाएं संतुष्ट हैं कि इस सूची में से दो दस्तावेजों को प्रस्तुत करना संभव नहीं है वहां वे अपने विवेक से गतिविधि साक्ष्य के रूप में इन दस्तावेजों में से केवल एक को स्वीकार कर सकती हैं. ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क बिंदु सत्यापन करना चाहिए, ऐसे फर्म के अस्तित्व से संबंधित जानकारी एकत्रित कर स्वयं को इस बात की पुष्टि और संतुष्टि दिलानी चाहिए कि स्वामित्व प्रतिष्ठान के पते से व्यवसाय गतिविधि को सत्यापित कर लिया गया है</p> <p>तथा</p> <p>स्वामी के पैन/फॉर्म 60 के साथ कोई भी एक ओवीडी</p>
<p>साझेदारी कंपनियों के खाते (पंजीकृत)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पंजीकरण प्रमाणपत्र, ➤ साझेदारी विलेख; तथा ➤ साझेदारी फर्म का पैन नं., ➤ उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए अटर्नी धारक व्यक्ति के फोटोग्राफ के साथ कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60
<p>ट्रस्ट के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ ट्रस्ट विलेख; ➤ संस्था का पैन/फॉर्म 60 ➤ उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए अटर्नी धारक व्यक्ति के फोटोग्राफ के साथ कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60

<p>अपंजीकृत साझेदारी फर्म/ट्रस्ट एवं सोसायटी सहित अनिगमित संघ या वैयक्तिक निकाय के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऐसे संघ या वैयक्तिक निकाय की प्रबंधन समिति का संकल्प; ➤ अनिगमित संघ या वैयक्तिक निकाय का पैन/फॉर्म 60 ➤ उनकी ओर से लेन देन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटर्नी; ➤ उनकी ओर से लेन देन करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी धारक व्यक्ति के संबंध में कार्यालय पदाधिकारियों/हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटर्नी धारक व्यक्ति, यदि है का कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60; ➤ ऐसे संघ या वैयक्तिक निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों की उल्लिखित सूची में से कोई एक <ul style="list-style-type: none"> ▪ साझेदारी विलेख/ ट्रस्ट विलेख/उपनियम ▪ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस, ▪ बिक्री कर रिटर्न, ▪ सीएसटी/वीएटी/जीएसटी प्रमाणपत्र (प्रावधानिक/अंतिम) ▪ बिक्री कर/ सेवा कर/ पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज ▪ सांविधिक निगमित पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज ▪ एकल स्वामी के नाम पर पूर्ण आय कर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय परिलक्षित हो रही हो और वह आय कर प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत/ स्वीकृत हो. ▪ संस्थान के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल
<p>हिंदू अविभक्त परिवार के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचयूएफ का पैन कार्ड ➤ कर्ता से घोषणा ➤ सभी कर्ता और कोपार्सनर द्वारा हस्ताक्षरित एचचयूएफ पत्र/ घोषणापत्र ➤ फोटोग्राफ के साथ कर्ता का कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म60

<p>सरकार या उसके विभागों, सोसायटी, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय आदि के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सरकार या उसके विभागों, सोसायटी, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय आदि की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शानेवाला दस्तावेज; ➤ उनकी ओर से लेन देन करने के लिए अटर्नी धारक व्यक्ति के फोटोग्राफ के साथ कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 और ➤ इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने वाला कोई दस्तावेज
<p>राजनीतिक दलों का खाता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उपनियम के अनुसार कार्यकारिणी समिति/प्रबंधन समिति का विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें दल अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, अवधि आदि का उल्लेख हो. ➤ राजनीतिक दल का पैन ➤ उनकी ओर से लेन देन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटर्नी; ➤ दल के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति ➤ चुनाव आयोग के साथ दल के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति ➤ खाता खोलने के लिए उप नियमों के अनुसार दल अध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से दल के लेटर हेड पर प्राधिकार पत्र जिसमें राज्य इकाई का पता, खाते का शीर्षक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए परिचालन अनुदेशों का उल्लेख हो और उसके साथ उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ का अनुप्रमाणन हो. ➤ उनकी ओर से लेन देन करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी धारक व्यक्ति के संबंध में कार्यालय पदाधिकारियों/हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटर्नी धारक व्यक्ति, यदि है का कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60